

[REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV -- 1517

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या नौएडा/मु0वा0नि0/2019/ IV -1517/..128

दिनांक:

26 - 6 - 2019

सेवा में,

मैसर्स गुलशन होम्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड,
121, हरगोविन्द इन्कलेव,
दिल्ली - 110092

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2018 के संदर्भ में कार्यदायी संस्था मै0 जै0पी0 इन्फ्राटेक लिरो(पुराना नाम जय प्रकाश इंडस्ट्रीज) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण(पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के मध्य निष्पादित कन्सेशन एंग्रीमेंट के प्राविधिकों के तहत कार्यदायी संस्था को सेक्टर - 128, 129, 131, 133 व 134 में हस्तान्तरित भूमि पर नियोजित वाणिज्यिक पॉकेट सं0 सी-3, ई-1, रोडर - 129, नौएडा के भवन मानवित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानवित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानवित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड / भूमि से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जाएगा।
3. भवन मानवित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्याय माँगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा बिजली की लाईन से पॉवर फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवश्यक नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत सामग्री का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी सौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्रों के स्पेसीफिकेशन, नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लहराने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त लहराने का नगर नियोजन एवं वास्तुकला विभाग, नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानवित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा मेजेजाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानवित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानवित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. साइल अथवा बैक लेन में किसी भी प्रकार से रेम्प /सीडियों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था स्थापित ड्रेनेज एवं मेन सीदर में करेगा।
12. कार्यदायी संस्था सन्दर्भित योजना में दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत भू-विन्यास मानवित्र के स्वीकृत पत्र, कन्सेशन एंग्रीमेंट एवं पट्टा प्रलेख में उल्लेखित सभी शार्टों का घोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
13. यह मानवित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते कार्यदायी संस्था के पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानवित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
14. कार्यदायी संस्था अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर नौएडा प्राधिकरण में प्रतुल करना होगा।
15. सन्दर्भित भवन के निर्माण हेतु भूजल की अन्नाधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोजी के दृष्टिगत रेनवाटर, हार्डस्टिप/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग परिविधियों के अन्तर्गत करना होगा।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Authorised Signature

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

16. सन्तर्भीत भवन के निर्माण के लिए किसी भी दशा में भू-जल द्वेषन नहीं करेंगे तथा इसके लिए नहीं। प्राधिकरण/अन्य संस्था के एरु0टी0पी0 के परिष्कृत जल का उपयोग करेंगे।
17. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सम्पत्ति विभाग सभी उभ पट्टा प्रलेख(Sub-Lease deed) का रिकार्ड सम्बन्धित लैण्ड पार्सलवाईज रखना सुनिचित करेंगा तथा कार्यदायी संरक्षा (Sub- Leasee) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत Mortgage Permission, Transfer Permission तथा Time Extension के लिए आवेदन पर कन्वेशन एथीमेंट के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. कन्वेशन एथीमेंट, पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धनश् भूकम्परोधी निर्माण एवं रद्दकरत सेफ्टी/स्टैलिलटी, 30 भौतर से ऊचे भवनों हेतु एथरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समर्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
20. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना 2031 के जोनिंग एवं सब लिवीजन रेप्युलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा राशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग तथा उराके रपोर्टिंग यूज में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
21. पंजीकरण एवं आबंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के विन्याचित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
22. पंजीकरण एवं आबंटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार कार्यदायी संरक्षा को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करसी होगी।
23. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुरंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पानीशन सर्टिफीकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीभोग में लाया जायेगा।
24. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैन्ड स्केपिंग एवं सामाजिक यानिकी, सीधेज डिपोजिल एवं सालिड वैरस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करसी होगी।
25. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, आवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संरक्षा को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
26. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लैटिंग आदि आवेदक संरक्षा द्वारा आबंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजना - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत विना प्राधिकरण के यथावश्यक पुर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा।
27. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के वृष्टिगत अवशेषमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
28. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, आवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देश समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
29. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रख-रखाव नुष्ठवत्तमूर्बक कार्यदायी संरक्षा को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
30. यह स्वीकृत प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
31. प्रस्तावित मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें/क्षेत्रफल तालिका में कोइ भी बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव के लिए कार्यदायी संस्था पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010, नियम व उपचिकित तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
33. अवन के निर्माण के दौरान बाहर से आने वाली तथा रथल पर रखी निर्माण सामग्री को छक कर रखना होगा, जिससे आस - पास के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा शहर में वायु प्रदूषण का संकेत जा सके।
34. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, में उल्लिखित नियम व उपचिकित तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कार्यवायी संस्था द्वारा उल्लिखित शर्त के अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में यह भवन मानचित्र/पत्र रखीकृति रखत: निररत भाना जायेगा।
35. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्भर आदेशों का अनुपालन करना होगा।
36. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप सं पालन करना होगा।
37. पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यवायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर वाध्यकारी होगा।
38. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित आविका संख्या 30511 of 2016 में पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
39. संवर्भित योजना में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आविकाओं पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
40. भवन स्वामी व अन्य विजिटर्स हेतु पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करना सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन का निर्माण कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व नौएडा प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन को प्रयोग में न लायें।

• भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 7486.00 वर्ग मी०
• अनुमन्य भू-आच्छादन क्षेत्रफल (@40%)	= 2994.40 वर्ग मी०
• अनुमन्य एफ०ए०आर० (स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार @4.0)	= 29944.00 वर्ग मी०

प्रस्तावित क्षेत्रफल का तल-वार विवरण निम्नवत है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व में स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पुनर्विभित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
तहखाना प्रथम(PAR)	2425.128
भूतल	2994.40	2873.783	2827.316
प्रथम तल		2480.741	2527.423
द्वितीय तल		2480.741	2533.523
तृतीय तल		2650.613	2625.509
चतुर्थ तल		1349.003	1346.074
पंचम तल	शेष	2302.487	2300.685
छठां तल	एफ०ए०आर०	413.385	301.642
सर्विस तल	
सातवां तल		1666.622	1663.486
आठवां तल		1666.622	1663.486
नवां तल		1666.622	1663.486


दसवां तल		1666.622	1663.486
प्यारहवां तल		1666.622	1663.486
बारहवां तल		1666.622	1663.486
तेरहवां तल		1666.622	1663.486
चौदहवां तल		727.434	1300.452
पन्द्रहवां तल		547.303	691.145
कुल एफ०ए०आर०	29944.00	29917.002	28098.171
तहखाना प्रथम		2494.377	4939.311
तहखाना द्वितीय		5001.332	5099.248
तहखाना तृतीय		5017.330	10038.559
		12513.039	
सेवा तल (छठे व सातवें तल के मध्य)	2994.40	2462.356	2464.753
संग क्षेत्रफल (ममटी, मशीन रम व रिफ्यूज ऐरिया सहित)	4491.60	3233.277	4035.600
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० एवं नैन एफ०ए०आर० सहित)	= 29917.002 + 12513.039 + 2462.356 + 3233.277	= 48,125.675 वर्ग मी०	
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० एवं नैन एफ०ए०आर० सहित)	= 28098.171 + 10038.559 + 2464.753 + 4035.600	= 44637.083 वर्ग मी०	

- पुनरीक्षित भू-आच्छादन = 2,994.373 वर्ग मी०
- पुनरीक्षित एफ०ए०आर० = 28,098.171 वर्ग मी०


सेटबैक विवरण :-

सेटबैक	अनुमत्य सेटबैक	प्रस्तावित सेटबैक	
		तहखाना	भवन
अग्र	9.00	9.00	12.00
पृष्ठ	6.00	6.00	13.50
बाई साइड	6.00	6.00	8.00
दाई साइड	6.00	6.00	10.00

Map for proposed Building is :- per Bye
Laws. Submitted for approval please.


Asstt. Archt. Asstt. Archt. Architect

भवदीय,

नाम.....
पद.....
नौएडा.....


प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सावर सूचनार्थी।
2. कार्यदायी मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लिमिटेड, सैकटर - 128, नौएडा को सूचनार्थी।
3. मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सैकटर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2018/ IV - 1496 | 1034

दिनांक: ०५।०५।२०१८

&

मैसर्स गुलशन होम्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०
121, हरगोविन्द इक्लेव,
दिल्ली - 92

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2017 संदर्भ में कार्यदायी संस्था मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० (पुराना नाम जय प्रकाश इंडस्ट्रीज) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पुराना नाम ताज एक्सप्रेस दे) के मध्य निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत कार्यदायी संस्था को सैकटर - 128, 129, 131, 133 व 134, नौएडा में हस्तान्तरित भूमि पर नियोजित वाणिज्यिक पॉकेट सं० सी ३ - ई १, सैकटर - 129, नौएडा के भवन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पॉच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जाएगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. उप पट्टा धारक द्वारा बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7. उप पट्टा धारक द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन, नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। उप पट्टा धारक द्वारा तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का नगर नियोजन एवं वास्तुकला विभाग, नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. उप पट्टा धारक द्वारा मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. साईड अथवा बैक लेन में किसी भी प्रकार से रेम्प /सीडियों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
11. उप पट्टा धारक द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा स्थापित ड्रेनेज एवं मेन सीवर में करेगा तथा पीने योग्य पानी के लिए जल कनेक्शन मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० से नियमानुसार प्राप्त करेगा।
12. उप पट्टा धारक सन्दर्भित योजना में दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के स्वीकृत पत्र, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं उप पट्टा प्रलेख में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
13. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पॉच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते उप पट्टा धारक के पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

14. उप पट्टा धारक द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से सत्यापन करा कर से नियमानुसार समयद्विधि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
15. सन्दर्भित भवन के निर्माण हेतु भूजल की अनाधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईडोलोजी के डॉस्टिगत रेनवाटर हार्डस्टिग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
16. सन्दर्भित भवन के निर्माण के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन नहीं करेंगे तथा इसके लिए नोएडा प्राधिकरण/अन्य संस्था के एस0टी0पी0 के परिष्कृत जल का उपयोग करेंगे।
17. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सम्पत्ति विभाग सभी उप पट्टा प्रलेख(Sub-Lease deed) का रिकार्ड सम्बन्धित लैण्ड पार्सलवाईज रखना सुनिष्ठित करेगा तथा उप पट्टा धारक (Sub-Lease Lessee) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत Mortgage Permission, Transfer Permission तथा Time Extension के लिए आवेदन पर उपरोक्त कन्सेशन अनुबन्ध के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. कन्सेशन एग्रीमेंट, उप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू भाने जायेगे।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धनश भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफटी/स्टैलिलटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
20. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना - 2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग तथा उसके स्पोर्टिंग यूज में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
21. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
22. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं उप पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आबंटी को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
23. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफीकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीभोग में लाया जायेगा।
24. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैन्ड रकेपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिंड वेरड मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था संबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
25. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, आवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वम करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
26. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आबंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नितियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजन - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पुर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा।

27. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
28. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, आवरणापना सुविधायें, जन सेवाये एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समर्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
29. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक उप पट्टा धारक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
30. यह स्वीकृति मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लिं द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
31. प्रस्तावित मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें/क्षेत्रफल तालिका में कोई भी बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव के लिए उप पट्टा धारक पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।
32. प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010 एवं 2016; नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
33. प्राधिकरण इसकी अनुमति विशेष कारणों से केवल इसी योजना के लिए प्रदान करेगा एवं इस प्रकार किसी अन्य योजना के लिए इस प्रकरण को दृष्टान्त के रूप में सन्दर्भित नहीं किया जायेगा।
34. उ०प्र०० रियल इस्टेट एक्ट, 2016 (Regulation and development) एवं इसके अधीन प्राविधानित नियम, 2016 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
35. यह अनुमोदन एक समर्थकारी उपबन्ध (Enabling Provision) होगा एवं यह उप पट्टा धारक को अधिकार के रूप में अनुमन्य नहीं होगा।
36. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
37. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, रद्दक्वर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे।
38. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं० 21/2012 वर्धमान कौशिक बनास यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं० 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यों हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
39. मानीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 30511 of 2016 में पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
40. संदर्भित योजना में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
41. भवन स्वामी व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन का निर्माण कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व नौएडा प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन को प्रयोग में न लायें।

• पॉकेट का क्षेत्रफल	=	7487.00 वर्ग मीटर
• अनुमन्य एफ0ए0आर0 (स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के अनुसार @ 4.0) =		29,948.00 वर्ग मीटर
• अनुमन्य भू - आच्छादन @ 40%	=	2994.80 वर्ग मीटर

वाणिज्यिक भूखण्ड सं0 सी 3 ई- 1, सैक्टर - 129 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)	प्रस्तावित एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)
तहखाना प्रथम (एफ.ए.आर.		2425.128
भूतल	2994.688	2873.783
प्रथम तल		2480.741
द्वितीय तल		2480.741
तृतीय तल		2650.613
चतुर्थ तल		1349.033
पंचम तल		2302.487
छठवां तल		413.385
सातवां तल		1666.622
आठवां तल		1666.622
नौवा तल		1666.622
दसवां तल		1666.622
स्यारहवां तल		1666.622
बारहवां तल		1666.622
तैरहवां तल		1666.622
चौदहवां तल		727.434
पन्द्रहवां तल		547.303
कुल एफ.ए.आर.	29946.88	29917.003
तहखाना - प्रथम		2494.377
तहखाना - द्वितीय		5001.332
तहखाना - तृतीय		5017.330
कुल योग		<u>12513.039</u>
सेवा तल (छठे व सातवें तल के मध्य)		2462.356
सेवा क्षेत्रफल (ममटी, मशीन व रिफ्यज सहित)		3233.277
कुल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर., नौन एफ.ए.आर., तहखाना एवं सेवा क्षेत्रफल सहित)	= 29917.003 + 12513.039 + 2462.356 + 3233.277 = 48125.675 वर्ग मीटर	

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

4

Authorised Signatory

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 2986.147 वर्ग मी² (39.88%)
 प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 29917.003 वर्ग मी² (3.996)

सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमत्य (मी ²)	प्रस्तावित (मी ²)	
		तहखाना	भवन
अग्र	9.0	9.0	12.0
पृष्ठ	6.0	6.0	13.5
बाई साइड	6.0	6.0	8.5
दाई साइड	6.0	6.0	10.0

Map for proposed Building is as per Bye
Law. Submitted for approval please.

A.C. G.R. *T.P.*

नाम.....
पद.....
उपर्युक्त लगाई हुश
नारंडा बरसुदेव नियोजक
मुख्य वरिष्ठ नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ ।
2. कार्यदायी संस्था मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, सैक्टर - 128, नौएडा को सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory